भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 285
दिनांक 03.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

फीफा विश्व कप की परियोजनाओं के निर्माण में श्रम उल्लंघन

285 श्रीमती कविता मलोथूः
डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन 'इक्विडेम' के अनुसार फीफा विश्व कप की परियोजनाओं के निर्माण के दौरान कतर में श्रम/मानवाधिकारों का उल्लंघन और भेदभाव हुआ था;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह भी आया है कि उक्त परियोजनाओं में कार्य करते समय तेलंगाना के कामगारों सहित अनेक भारतीय की मृत्यु हो गई है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मुद्दों पर परिदान और विरासत संबंधी सर्वोच्च समिति/कतर सरकार के साथ विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) से (घ) कतर सहित विदेशों में कहीं भी काम करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के उनके रोजगार से संबंधित मुद्दों जैसे वेतन का भुगतान न होने या वेतन के भुगतान में देरी, कार्य की दुरूह स्थितियां, संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने, पासपोर्ट जब्त करने आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त होते ही ये शिकायतें स्थापित व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के अनुसार संबंधित नियोक्ता और स्थानीय श्रम मंत्रालय के साथ उठाई जाती हैं ताकि उनका तार्किक समाधान होने तक उपयुक्त हस्तक्षेप किया जा सके।

भारतीय प्रवासी कार्य बल से संबंधित सभी मुद्दे जो संज्ञान में आए थे, भारत के राजदूतावास के साथ-साथ भारत और कतर के बीच सुस्थापित श्रम एवं जनशक्ति विकास संबंधी संयुक्त कार्य समूह तंत्र के माध्यम से उठाए गए।

*****